

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

--: अधिसूचना ::--

पटना-15, दिनांक:- अप्रैल, 2016

सं०:- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-22/2011/ /राज्य के जिला/अनुमंडल/
प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के
अधिसूचना सं०-931, दिनांक-17.07.2014, तथा अधिसूचना सं०-1027, दिनांक-26.07.2013 के द्वारा
माननीय मंत्री, जल संसाधन की अध्यक्षता में किया गया था।

2. दिनांक-20.11.2015 को राज्य में नया मंत्रिमंडल का गठन होने के फलस्वरूप तथा बिहार
कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-32(क)(XXI) के आलोक में
राज्य में जिला/अनुमंडल/ प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में 'मंत्रियों के समूह' का पुनर्गठन
निम्न रूपेण किया जाता है :-

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| (1) उप मुख्यमंत्री | - | अध्यक्ष |
| (2) मंत्री, वित्त | - | सदस्य |
| (3) मंत्री, जल संसाधन | - | सदस्य |
| (4) मंत्री, ग्रामीण विकास | - | सदस्य |
| (5) मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार | - | सदस्य |

3. उपर्युक्त कंडिका-2' से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, 'मंत्रियों के समूह' की बैठकों
में सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे।

4. मंत्रियों के समूह को सचिवालय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध करायेंगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-22/2011/ 532/दिनांक- 07, अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/उप
मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, वित्त के आप्त सचिव/मंत्री, जल संसाधन के आप्त सचिव/मंत्री,
ग्रामीण विकास के आप्त सचिव/मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार के आप्त सचिव/सभी मंत्रिगण के आप्त
सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/16
7/4/16
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव
7.04.16